

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्तोदय संबल पखवाडा कैम्प 2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:- कल्पित शिवरान आर.ए.एस

क्रमांक :- दुरुस्ती / 2025 / ५९

दिनांक :- 26/06/25

आदेश

प्राणी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र में मुताबिक तहसीलदार भादरा की रिपोर्ट तथा प्राणी गीतादेवी पुत्री धनपत निवासी गिनाण के शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान शू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही गौजा चक 12 एएमएस व 13 एएमएस तहसील भादरा जिला हनुमानगढ की जमाबन्दी में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

नोट:- यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि धापा पुत्री धनपत के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम धापा पुत्री धनपत ही लागू होगा।

ग्राम/चक/ पटवार मण्डल	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि प्रविष्टि)	(अशुद्ध	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
2	3	4		5
12 एएमएस	86/80	धापा पुत्री धनपत		गीतादेवी पुत्री धनपत
13 एएमएस	12/92	धापा पुत्री धनपत		गीतादेवी पुत्री धनपत

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

दिनांक :- 26/06/25

क्रमांक:- सम/2025/ ५९-६०

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ

1. तहसीलदार (राजस्व) भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ,विवाद एव बैंक रहन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।
2. गीतादेवी पुत्री धनपत को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

